रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2014/भाद्र 27, 1936
No. 483] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2014/BHADRA 27, 1936

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा–I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2014

सा.का.नि.670(अ).—दिल्ली विकास (विविध) नियम 1959 के नियम–3 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा जन संपर्क संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए भर्ती विनियम बनाता/संशोधित करता है, जिन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाए :–

दिल्ली विकास प्राधिकरण में उप निदेशक (जन संपर्क) के पद हेतु भर्ती विनियम

क्रम सं.	भर्ती विनियमों का मानक प्रारूप/कॉलम	दि.वि.प्रा. के मौजूदा भर्ती विनियमों में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के मौजूदा भर्ती विनियमों में संशोधन	इस प्रकार के संशोधनों हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	पद का नाम	उप निदेशक (जन संपर्क)	कोई परिवर्तन नहीं	—
2.	पदों की संख्या	01	2* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर)	उप निदेशक (प्रचार) का एक पद उप निदेशक (जनसंपर्क) की नामपद्धति के रूप में भी है, इस प्रकार उप–निदेशक (जन संपर्क) एवं उप–निदेशक (प्रचार) दोनों को मिलाकर कुल पदों की संख्या 2 हो गई ।
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'	कोई परिवर्तन नहीं	—
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	3000–100–3500–125–4500/–रु0 (पूर्व संशोधित) 10,000–325–15200/–रु0 (संशोधित)	पी बी–3 अर्थात् 6600/–रु0 ग्रेड वेतन सहित 15600–39100/–रु0	दिनांक 06.10.2009 के संस्थापना आदेश सं. 1988 के तहत परिचालित दिनांक 03.06.2009 के संकल्प सं. 20/2009 के तहत दि.वि.प्रा. द्वारा यथा अंगीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में वेतनमान संशोधित किया गया है ।
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है ।	चयन	चयन पद	—

6.	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ देय है ।	नहीं	लागू नहीं	पेंशन नियम के नियम 30 का प्रावधान, नियम 29 के नीचे जी आई डी को देखते हुए लागू नहीं है ।
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा ।	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों और प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट ।)	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों और दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लिए छूट ।)	दिनांक 21.12.1998 की डीओपीटी की अधिसूचना सं. जीएसआर 758(अ) के अनुसार आयु सीमा
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ ।	अनिवार्य 1. एक विषय के रूप में हिंदी/अंग्रेजी/उर्दू सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष । 2. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से जन संपर्क में डिप्लोमा अथवा समकक्ष । 3. किसी प्रतिष्ठित समाचारपत्र/न्यूज एजेंसी में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान में 8 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव अथवा सरकारी विभाग या किसी प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रचार संगठन में प्रचार और जन संपर्क कार्य में समकक्ष अनुभव । 4. विभिन्न प्रचार माध्यमों की भर्ती की जानकारी । वांछनीय किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता/जन संपर्क/जन संचार में डिग्री अथवा समकक्ष ।	अनिवार्य 1.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पत्रकारिता/जन संचार/जन संपर्क/विज्ञापन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा समकक्ष । 2.किसी प्रतिष्ठित समाचारपत्र/न्यूज़ एजेंसी (प्रिंट अथवा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया) में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान में 06 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव अथवा किसी सरकार विभाग या किसी प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रचार संगठन में, प्रचार और जन संपर्क कार्य में समकक्ष अनुभव ।	मौजूदा प्रावधानों को उचित तरीके से उल्लिखित किया गया है ।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगी ।	आयु – नहीं	आयु – लागू नहीं	चूंकि भर्ती की पद्धति 100% सीधी भर्ती द्वारा है, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	2 वर्ष	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति के मामले में यह लागू नहीं है ।
11.	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा ।	100% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	—
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, उस ग्रेड का नाम जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है ।	(i) <u>पदोन्नति :</u> प्रलेखन अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, फोटोग्रॉफिक अधिकारी जिन्होंने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ii) <u>प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:</u> (क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त संगठनों में कार्यरत वे अधिकारी, जिन्होंने :— (i) सदृश पद धारण किया हो अथवा (ii) 700—1300/— रु0 वेतनमान के पद में 5 वर्ष की सेवा की हो । (ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारण की हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	(i) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों के अधिकारी, अधिमानतः भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी जिन्होंने : (i) मूल विभाग/संवर्ग में सदृश पद धारण किया हो अथवा (ii) पीबी—III अर्थात् 5400/—रु. ग्रेड वेतन सहित 15600—39100 रु. में मूल विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा इसके समकक्ष ; और (ख) कॉलम 8 में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनुभव रखने वाले ।	
13	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है ?	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति ।	(ii) लागू नहीं	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती है जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
14.	अयोग्यता	कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने (क) ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा	कोई परिवर्तन नहीं	—

		विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो अथवा (ख) पति या पत्नी के जीवित रहते, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, उक्त पद की नियुक्ति के योग्य नहीं होगा, बशर्ते, ऐसे व्यक्ति एवं दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार/दि.वि.प्रा. ऐसे विवाह की अनुमति को संतोषप्रद मानती हो तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हों जो किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रचालन से छूट देते हों ।		
15.	शिथिल करने की शक्ति	जब केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह लिखित रूप में कारण रिकॉर्ड करके इन वर्गों या व्यक्ति या पदों की श्रेणियों के किसी भी उपबंध को आदेशों द्वारा शिथिल करा सकता है ।	जब अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह लिखित रूप में कारण रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेशों द्वारा शिथिल कर सकता है ।	–
16.	बचाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार /दि.वि.प्रा. द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अ.जा., अ.ज.जा., भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों को मिलने वाले आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।	कोई परिवर्तन नहीं	–

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदे ाक (जन संपर्क) के पद हेतु भर्ती विनियम

क्रम सं.	भर्ती विनियमों का मानक प्रारूप/कॉलम	दि.वि.प्रा. के मौजूदा भर्ती विनियमों में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के मौजूदा भर्ती विनियमों में संशोधन	इस प्रकार के संशोधनों हेतु टिप्पणियाँ/कारण
1.	पद का नाम	निदेशक (जन संपर्क)	कोई परिवर्तन नहीं	–
2.	पदों की संख्या	01	01* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर)	–
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'	कोई परिवर्तन नहीं	–

4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	3700—125—4700—150—5000/—रु0 (पूर्व संशोधित) 12,000—375—16500/—रु0 (संशोधित)	पी.बी—3 अर्थात् 7600/—रु0 ग्रेड वेतन सहित 15600—39100/—रु0	दिनांक 06.10.2009 के संस्थापना आदेश सं. 1988 के तहत् परिचालित दिनांक 03.06.2009 के संकल्प सं. 20/2009 के तहत् दि.वि.प्रा. द्वारा यथा अंगीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में वेतनमान संशोधित किया गया है ।
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है ।	चयन	चयन पद	—
6.	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ देय है ।	—	लागू नहीं	मौजूदा भर्ती विनियम में कॉलम रिक्त है । तथापि, उपयुक्त रूप से सांकेतित है ।
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु—सीमा	45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों और दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लिए छूट ।)	कोई परिवर्तन नहीं	—
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ ।	अनिवार्य 1. एक विषय के रूप में हिंदी/अंग्रेजी/उर्दू सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष । 2. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समकक्ष से पत्रकारिता/जनसंचार/जन संपर्क में डिप्लोमा अथवा समकक्ष । 3. किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र/न्यूज एजेंसी में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान में 12 वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव या किसी सरकारी विभाग या किसी प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रचार संगठन में प्रचार और जन संपर्क कार्य में समकक्ष अनुभव । वांछनीय : पत्रकारिता/जनसंपर्क/जनसंचार में डिग्री ।	अनिवार्य 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पत्रकारिता/जन संचार/जन संपर्क/विज्ञापन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा समकक्ष। 2. किसी प्रतिष्ठित समाचारपत्र/न्यूज़ एजेंसी (प्रिंट अथवा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया) में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान में 08 वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव अथवा किसी सरकारी विभाग या किसी प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रचार संगठन में, प्रचार और जन संपर्क कार्य में समकक्ष अनुभव ।	मौजूदा प्रावधानों को उचित तरीके से उल्लिखित किया गया है ।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगी ।	आयु — लागू नहीं शैक्षिक योग्यता—हाँ	आयु — नहीं शैक्षिक योग्यता— (क) पदोन्नत व्यक्ति के लिए हाँ । (ख) प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए नहीं ।	—
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	2 वर्ष	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में यह लागू नहीं है ।

11.	भर्ती की पद्धति– सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा ।	मौजूदा प्रावधान को उचित तरीके से उल्लिखित किया गया है ।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, उस ग्रेड का नाम जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है ।	**(i) <u>पदोन्नति</u> :** उप निदेशक (जन संपर्क) और उप निदेशक (प्रचार), जिन्होंने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो । **(ii) <u>प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण</u>** (क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त संगठनों के अधिकारी, जिन्होंने :– (i) सदृश पद धारण किया हो अथवा (i) 10000–15200/–रु0 वेतनमान के पद में 5 वर्ष की सेवा की हो । (ख) सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता धारण की हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	(i) **पदोन्नति** : उप निदेशक (जनसंपर्क) में से जिन्होंने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो । **(ii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :** (क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों के अधिकारी, अधिमानतः भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी जिन्होंने : (iii) मूल विभाग/संवर्ग में सदृश पद धारण किया हो अथवा (iv) पीबी–III अर्थात् 6600/–रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600–39100/–रु. में मूल विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा इसके समकक्ष ; और (ख) कॉलम 8 में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनुभव रखने वाले ।	–
13	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है ?	**वरिश्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित सम्मिलित है :–** 1. उपाध्यक्ष – अध्यक्ष 2. वित्त सदस्य – सदस्य 3. सचिव – सदस्य 4. आयुक्त (कार्मिक)/निदेशक (कार्मिक) – सदस्य सचिव 5. विभागीय अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा सहयोजित कोई विशेषज्ञ	समय–समय पर दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचित समूह 'क' अधिकारियों हेतु वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति। (केवल पदोन्नति)।	विभागीय पदोन्नति समिति के गठन को दि.वि.प्रा. द्वारा पृथक् रूप से, अधिसूचित किया जाता है तथा इसके गठन को समय–समय पर परिवर्तित किया जा सकता है । अतः केवल विभागीय पदोन्नति समिति के स्तर का उल्लेख किया गया है जिससे कि विभागीय पदोन्नति समिति के गठन में परिवर्तन होने पर, भर्ती नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े।

14.	अयोग्यता	भर्ती विनियम में नहीं है ।	कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने (क) ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जबकि उसकी पत्नी/पति जीवित हो ; अथवा (ख) पति या पत्नी के जीवित रहते, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, उक्त पद की नियुक्ति के योग्य नहीं होगा ; बशर्ते, ऐसे व्यक्ति एवं दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार ऐसे विवाह की अनुमति को संतोषप्रद मानती हो तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हों जो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट देते हों ।	—
15.	शिथिल करने की शक्ति	भर्ती विनियम में नहीं है ।	जब अध्यक्ष, दि. वि. प्रा., की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह लिखित रूप में कारण रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है ।	—
16.	बचाव	भर्ती विनियम में नहीं है ।	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार अ.जा. और अ.ज.जा., भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों को मिलने वाले आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।	—

दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त (जन संपर्क) के पद हेतु भर्ती विनियम

क्रम सं.	भर्ती विनियमों का मानक प्रारूप/कॉलम	दि.वि.प्रा. के मौजूदा भर्ती विनियमों में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के मौजूदा भर्ती विनियमों में संशोधन	इस प्रकार के संशोधनों हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	पद का नाम	आयुक्त (जन संपर्क)	कोई परिवर्तन नहीं	—
2.	पदों की संख्या	01	01* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर)	—
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'	कोई परिवर्तन नहीं	—

4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	8700/–रु0 के ग्रेड वेतन सहित 37400–67000रु. – (पी.बी.–4)	कोई परिवर्तन नहीं	दिनांक 06.10.2009 के संस्थापना आदेश सं. 1988 के तहत् परिचालित दिनांक 03.06.2009 के संकल्प सं. 20/2009 के तहत् दि.वि.प्रा. द्वारा यथा अंगीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में वेतनमान संशोधित किया गया है।
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है।	चयन	चयन पद	–
6.	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन)नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ देय है ।	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	–
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा	40 वर्ष	45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों तथा दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार छूट ।)	छूट की निर्धारित अवधि का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह समय–समय पर केन्द्रीय सरकार की नीतियों पर निर्भर होगा। दिनांक 21.12.1998 की डी ओ पी टी की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 758(अ) के अनुसार आयु सीमा ।
8.	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अपेक्षित अर्हताएँ ।	लागू नहीं	आवश्यक :– 1.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पत्रकारिता/जन संचार/जन संपर्क/विज्ञापन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा समकक्ष । 2.किसी प्रतिष्ठित समाचारपत्र/न्यूज़ एजेंसी (प्रिंट अथवा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया) में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान में 12 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव अथवा किसी सरकारी विभाग या किसी प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रचार संगठन में, प्रचार और जन संपर्क कार्य में समकक्ष अनुभव ।	मौजूदा प्रावधानों को उचित तरीके से उल्लिखित क़िया गया है ।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगी ।	लागू नहीं	आयु – नहीं शैक्षिक अर्हताएं – (क) पदोन्नत व्यक्ति के लिए हाँ । (ख) प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए नहीं ।	–

10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	2 वर्ष	सीधी भर्ती हेतु 2 वर्ष	पदोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में यह लागू नहीं है ।
11.	भर्ती की पद्धति– सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा	मौजूदा प्रावधान को उचित तरीके से उल्लिखित किया गया है ।
12.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, उस ग्रेड का नाम जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है ।	(i) पदोन्नति : ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित, दि.वि.प्रा. के निदेशक (जनसंपर्क) (ii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (क) केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / स्वायत्त निकायों के अधिकारी जिन्होंने निम्नलिखित मानदंड धारण किए हों । (iii) मूल विभाग में सदृश पद धारण किया हो अथवा (iii) मूल विभाग में पे बैंड–III अर्थात् 15600–39100 / –रु. तथा ग्रेड पे 7600 रु. के पद में 5 वर्ष की सेवा । (iv) किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र / न्यूज़ एजेंसी में जनसंपर्क / मीडिया इंटरेक्शन / व्यावसायिक प्रचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव । (ख) धारण किए हों :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसंचार / पत्रकारिता / जनसंपर्क में डिग्री अथवा समकक्ष । अथवा अंग्रेजी एवं हिंदी / उर्दू विषय के साथ डिग्री तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पत्रकारिता / जनसंचार / जनसंपर्क में डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष ।	(i) पदोन्नति : ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित, दि.वि.प्रा. के निदेशक (जनसंपर्क) (iii)प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : (क) केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / स्वायत्त निकायों के अधिकारी, अधिमानतः भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी जिन्होंने, निम्नलिखित पात्रता मानदंड धारण किए हों । (i) मूल विभाग / संवर्ग में सदृश पद धारण किया हो अथवा (ii) पीबी–III अर्थात 7600 / –रु. में ग्रेड वेतन सहित15600–39100 / –रु. में मूल विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा । (ख) किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र / न्यूज़ एजेंसी (प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान में 12 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव अथवा किसी सरकारी विभाग या किसी प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रचार संगठन में, प्रचार और जनसंपर्क में समकक्ष अनुभव ।	–
13	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है ?	वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित सम्मिलित है :– 1. प्रधान आयुक्त – अध्यक्ष 2. मुख्य लेखा अधिकारी – सदस्य 3. विभागाध्यक्ष प्रधान आयुक्त (प्रणाली) – सदस्य 4. आयुक्त (कार्मिक)– सदस्य 5. उपाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाने	समय–समय पर दि.वि. प्रा. द्वारा यथा अधिसूचित समूह 'क' अधिकारियों हेतु वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति ।	विभागीय पदोन्नति समिति के गठन को दि. वि.प्रा. द्वारा पृथक रूप से, अधिसूचित किया जाता है तथा इसके गठन को समय–समय पर परिवर्तित किया जा सकता है । अतः केवल विभागीय पदोन्नति समिति के स्तर का

		वाले अ.जाति/अ.जन.जाति के प्रतिनिधि।		उल्लेख किया गया है जिससे कि विभागीय पदोन्नति समिति के गठन में परिवर्तन होने पर, भर्ती नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े ।
14.	अयोग्यता	कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने (क) ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो ; अथवा (ख) पति या पत्नी के जीवित रहते, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, उक्त पद की नियुक्ति के योग्य नहीं होगा ; बशर्ते, ऐसे व्यक्ति एवं दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार ऐसे विवाह की अनुमति को संतोषप्रद मानती हो तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हों जो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट देते हों ।	कोई परिवर्तन नहीं ।	–
15.	शिथिल करने की शक्ति	जब उपराज्यपाल, दिल्ली, की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह लिखित रूप में कारण रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेशों द्वारा शिथिल कर सकता है ।	कोई परिवर्तन नहीं ।	–
16.	बचाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अ.जा., अ.ज.जा., भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों को मिलने वाले आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।	कोई परिवर्तन नहीं ।	–

[सं. फा. 7(18)2013/पी.बी.–I/2557]

बी. के. मिश्रा, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(PERSONNEL BRANCH-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2014

G.S.R. 670(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with rule 3 of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959, the Delhi Development Authority hereby makes/modify with the previous approval of the Central Government the recruitment regulations for various posts of Public Relations Cadre which may be read as under :—

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DY. DIRECTOR (PUBLIC RELATIONS) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard format/Col. of RRs	Provisions in the existing RRs of DDA	modifications in the existing RRs of DDA	Remarks/Reasons for such modifications
1.	Name of post	Dy. Director(PR)	No change	-
2.	No. of post	01	02* (subject to variation dependent on work load)	01 post of D.D(Publicity) is also nomenclature as DD(PR), hence both posts DD(PR) & DD(Publicity) have been clubbed together making total No. of post to 02.
3.	Classification	Group-A	No change	-
4.	Pay Band & Grade Pay/ Pay Scale	Rs. 3000-100-3500-125-4500/-(PR) Rs. 10000-325-15200/- (Revised)	PB-3 i.e. Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 6600/-	The pay scale has been modified in accordance with the recommendations of 6th Central Pay Commission as adopted by DDA vide Resolution No. 20/2009 dated 03.06.2009 circulated vide E.O. no. 1988 dated 06.10.2009.
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Selection	Selection post	-
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension Rules), 1972	No	Not applicable	The provision of Rule 30 of Pension rule are not applicable in view of GID below Rule 29
7.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 40 years (Relaxable for Govt. employees and employees of the Authority by 5 years in accordance with the instruction issued by the Central Government	Not exceeding 40 years (Relaxable for Govt. employees and employees of DDA in accordance with the orders or instructions issued by the Central Govt.)	Age limit as per DoPT Notification No. G.S.R. 758(E) dated 21.12.1998.
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Essential: 1. Degree of a recognized University or equivalent with Hindi/English/Urdu as a subject. 2. Diploma in Public Relations of a recognized University/Institute or equivalent. 3. 8 years journalistic experience in a responsible capacity in a Newspaper/News Agency of repute or equivalent experience of publicity and public relation work in a	Essential: 1. PG Diploma or Degree in Journalism/Mass Communication/Public Relation/Advertisement or equivalent from a recognized University or institute. 2. 06 years Journalism experience in a responsible capacity in a Newspaper/News Agency (Print or Electronic Media) of repute or equivalent, experience of publicity and public relation work in a Govt.	The existing provisions have been mentioned in appropriate form

		Govt. Deptt. or Commercial Publicity Organization of repute. 4. Familiarity with the recruitment of various publicity media. Desirable Degree in Journalism/Public Relation/Mass Communication of recognized University/Institute or equivalent	Department or Commercial Publicity Organization of repute	
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists?	Age-No	Age-Not applicable	Since the method of recruitment is 100% direct recruitment failing which by deputation.
10.	Period of probation, if any	Two years	Two years for direct recruits	This is not applicable in case of deputation
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods.	Promotion failing which by transfer on deputation and failing both, by direct recruitment.	100% by Direct recruitment failing which by deputation	-
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption is to be made.	**(i) Promotion:** Documentation Officer, Librarian Photographic Officer with 5 years of regular service in the grade. (ii) Transfer on deputation: a) Officers under the Central Govt./State Govt./Public Sector/ Undertaking/Autonomous Organization:- i) Holding analogous post OR ii) With 5 year service in the post in the pay scale of Rs. 700-1300/- b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits.(period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years).	(i) Transfer on deputation: Officers of the Central Govt./State Govt./ Public Sector undertaking/Autonomous bodies preferable from Indian information service: i) Holding analogous post in the parent department/cadre OR ii) with 5 years regular service in the parent department in PB-III i.e. Rs. 15600-39100/- with grade pay Rs. 5400/- or equivalent; and b) Possessing experience prescribed for direct recruits in Col. 8	
13.	In a DPC exists what is its composition.	Group 'A' DPC	(ii) Not applicable	Method of recruitment is Direct recruitment failing which by deputation.
14.	Disqualification	No person (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who having a spouse	No change	-

		living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post: Provided that the Central Government/DDA may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.		
15.	Power to relax	Where the Central Govt. Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may by orders, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these any claim or category of persons of posts.	Where the Chairman, DDA is of the opinion that it is necessary or expedient to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these Rules.	
16.	Saving	Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the scheduled castes and scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government/DDA from time to time in this regard.	No change	-

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DIRECTOR (PUBLIC RELATIONS) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard format/Col. Of RRs	Provisions in the existing RRs of DDA	modifications in the existing RRs of DDA	Remarks/Reasons for such modifications
1.	Name of post	Director(PR)	No change	-
2.	No. of post	01	01* (subject to variation dependent on work load)	--
3.	Classification	Group-'A'	No change	--
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Rs.3700-125-4700-150-5000(PR) Rs. 12000-375-16500(Revised)	PB-3 i.e. Rs. 15600-39100/- with GP of Rs. 7600/-	The pay scale has been modified in accordance with the recommendations of 6th Central Pay Commission as adopted by DDA vide Resolution No. 20/2009 dated 03.06.2009 circulated

				vide E.O. No. 1988 dated 06.10.2009.
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Selection	Selection post	-
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule-30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	--	Not applicable	The column in the existing RRs is blank. However, indicated appropriately.
7.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 45 years (Relaxation for Govt. employees and employees of DDA in accordance with the orders or instructions issued by the Central Govt.)	No Change	
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential 1. Degree of a recognized university or equivalent with Hindi/English/Urdu as a subject. 2. Diploma in Journalism/Mass Communication/Public Relations or equivalent from a recognized University or Institute or equivalent. 3. 12 years Journalism experience in a responsible capacity in a Newspaper/News Agency of repute or equivalent experience of publicity and public relation work in a Govt. Deptt. or Commercial Publicity Organization or repute. Desirable: Degree in Journalism/Public Relation/Mass Commutation	Essential: 1. PG Diploma or Degree in Journalism/Mass Communication/Public Relations/Advertisement or equivalent from a recognized University or Institute. 2. 08 years Journalism experience in a responsible capacity in a Newspaper/News agency (Print or Electronic Media) of repute or equivalent experience of publicity and public relation work in a Govt. Deptt. or commercial Publicity Organization of repute.	The existing provisions have been mentioned in appropriate form.
9.	Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotion and deputationists	Age- Not applicable Educational qualification – Yes	Age – No Educational qualification— a) Yes for promotees. b) No for deputationists.	-
10	Period of probation, if any	Two years.	Two years for direct recruits.	This is not applicable in case of promotion and deputation.
11	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods	Promotion failing which by deputation and failing both, by direct recruitment.	By promotion failing which by deputation and failing both, by direct recruitment.	The existing provision has been mentioned in appropriate form.
12	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/	**(i) Promotion:** Dy. Dir.(PR) and Dy. Dir. (Publicity) with 5 years of regular service	**(i)Promotion:** From amongst Dy. Dir. (PR) with 5 years of regular service in the	--

	absorption is to be made.	in the grade. **(ii) Transfer on deputation:** a) Officers of the Central Govt./State Govt./Public Sector/Undertaking/ Autonomous Organization. i) Holding analogous post OR ii) With 5 years service in the post in the post in the pay scale of Rs. 10000-15200/-. B) Possessing the educational qualifications of direct recruits (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years).	grade. (ii)Transfer on deputation: a) Officers of the Central Govt./State Govt./Public Sector Undertaking/Autonomous bodies preferably from Indian Information Services: (i) Holding analogous post in the parent department/Cadre. OR (ii) With 5 years regular service in the parent deptt. in PB-III i.e. Rs. 15600-39100/- with GP of Rs. 6600/- or equivalent; and b) Possessing experience prescribed for direct recruits in Col.8	
13	If a DPC exists, what is its composition	Senior level DPC comprising of the following: 1. Vice Chairman – Chairman 2. Finance Member – Member 3. Secretary – Member 4. Commissioner(P)/ Dir. (P) – Member Secy. 5. Departmental Head or any expert to be co-opted by the Chairman.	Senior Level DPC for Group 'A' Officers as notified by DDA from time to time. (promotion only)	The composition of the DPC is notified by DDA separately and its constitution may also change from time to time. Hence only level of the DPC has been mentioned so that the RRs may not need any modification with the change in constitution of the DPC.
14	Disqualification	Not in RR	No person (a) Who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive; or (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said post; Provided that the Central Govt. may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.	--

15	Power to relax	Not in RR	Where the Chairman, DDA is of the opinion that it is necessary or expedient to do, it may be order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these Rules.	--
16	Saving	Not in RR	Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the SC and ST, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the central Govt. from time to time in this regard.	--

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF COMMISSIONER (PUBLIC RELATIONS) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard format/Col. Of RRs	Provisions in the existing RRs of DDA	modifications in the existing RRs of DDA	Remarks/Reasons for such modifications
1.	Name of post	Commissioner(PR)	No change	-
2.	No. of post	01	01* (subject to variation dependent on work load)	--
3.	Classification	Group-'A'	No change	--
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8700/- (PB-4)	No change	The pay scale has been modified in accordance with the recommendations of 6th Central Pay Commission as adopted by DDA vide Resolution No. 20/2009 dated 03.06.2009 circulated vide E.O. No. 1988 dated 06.10.2009.
5.	Whether Selection Post or Non-selection post.	Selection	Selection post	--
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule-30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Not applicable	No change	--
7.	Age limit for direct recruits	40 years	Not exceeding 45 years (Relaxation for Govt. employees and employees of DDA in accordance with the orders or instructions issued by the Central Govt.)	Specific period of relaxation need not be mentioned here as it would depend upon the policy of Central Govt. from time to time. Age limit as per DoPT Notification no. GSR 758 (E) dated 21.12.1998.

8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable	Essential: 1. PG Diploma or Degree in Journalism/Mass Communication/Public Relations/Advertisement or equivalent from a recognized University or Institute. 2. 12 years Journalism experience in a responsible capacity in a Newspaper/News agency (Print or Electronic Media) of repute or equivalent experience of publicity and public relation work in a Govt. Deptt. or commercial Publicity Organization of repute.	The existing provisions have been mentioned in appropriate form.
9.	Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotion and deputationists	Not applicable	Age – No Educational qualification— (a) Yes for promotees/ deputationists. (b) No for deputations	-
10.	Period of probation, if any	Two years.	Two years for direct recruits.	This is not applicable in case of promotion and deputation.
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods	By promotion failing which by deputation	By promotion failing which by deputation and failing both, by direct recruitment.	The existing provision has been mentioned in appropriate form.
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption is to be made.	(i) **Promotion:** Dy. Dir.(PR) of DDA with 5 years of regular service in the grade. **(ii) Transfer on deputation:** a) Officers of the Central Govt./State Govt./Public Sector/Undertaking/Autono mous possessing following eligibility criteria: i) Holding analogous post in the parent department. OR ii) With 5 years service in the parent department in PB-III i.e. Rs. 15600-39100/- with grade pay Rs. 7600/-. iii) 12 years experience in the field of public relation/media interaction/commercial publicity & journalism experience in a	(i)Promotion: Dir.(PR) of DDA with 5 years of regular service in the grade. (ii)Transfer on deputation: a) Officers of the Central Govt./State Govt./Public Sector Undertaking/Autonomous bodies preferably officers from Indian Information Services possessing following eligibility criteria: Holding analogous post in the parent department/Cadre. OR With 5 years regular service in the parent deptt. in PB-III i.e. Rs. 15600-39100/- with GP of Rs. 7600/-. (b) 12 years Journalism	--

		Newspaper/News agency of repute. B) Possessing: Degree in Mass Communication/Jounalism/ Public Relation from a recognized University or equivalent. **OR** Degree with English & Hindi/Urdu as a subject and holding Diploma in Journalism/Mass Communication/Public Relation from a recognized University/Institutions or equivalent.	experience in a responsible capacity in a Newspaper/News agency (Print or Electronic Media) of repute or equivalent experience of publicity and public relation work in a Govt. Deptt. or commercial Publicity Organisation of repute.	
13.	If a DPC exists, what is its composition	Senior level DPC comprising of the following: 1. Principal Commissioner – Chairman 2. Chief Accounts Officer – Member 3. Head of the department P. C. (system) -Member 4. Commissioner (P) -Member 5. Rep. of SC/ST to be nominated by VC	Senior Level DPC for Group 'A' Officers as notified by DDA from time to time. (promotion only)	The composition of the DPC is notified by DDA separately and its constitution may also change from time to time. Hence only level of the DPC has been mentioned so that the RRs may not need any modification with the change in constitution of the DPC.
14.	Disqualification	No person (c) Who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive; or (d) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said post; Provided that the Central Govt. may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.	No Change	--
15.	Power to relax	Where the Lt. Governor, Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do, it may by order, for reasons to be	No Change	

		recorded in writing may relax any of the provisions of these Rules.		
16.	Saving	Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the SC and ST, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time in this regard.	No change	--

[No. F 7 (18) 2013/PB-I/2557]

B. K. MISHRA, Comm.-Com-Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.